तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.14	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप० है। निर्णय अलग से लिख कर सुनाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली की निर्णीत में गणना की कार्यवाही में खारिज लगाया जावे। बाद तामील तकमील व तामील दाखिल दफ्तर हो।	

-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंज मण्डी :-

वाद सं०	तारीख दायरा	तारीख फैसला
78/07	13-12-07	26/11/2014

पीठासीन अधिकारी :- S.D. मीणा [R.A.S.]

-: उनवान :-

दुर्गालाल बनाम गोरधन वगैरह

उपस्थित अधिवक्तागण,
(1) श्री G.L. सोनी :- वकील वादीगण
(2) श्री जितेन्द्र भारती :- वकील प्रति० 1 से 11

-: निर्णय :-

दिनांक 26/11/2014

वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54-188 R.T. Act 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम पीपाखेड़ी के ख० नं० 436 - (रकबा 41), 438 (रकबा 31) कुल किता 2 (रकबा 0.11) आराजी स्थित है! उक्त आराजी में वादीगण व प्रति० नं० 11 हिस्सा 1/3, प्रति० नं० 1 ल० 5 हिस्सा 1/3 तथा प्रति० नं० 6 लगायत 10 हिस्सा $\frac{1}{3}$ है। कब्जा भी उसी अनुरूप है! उक्त भूमि खान ऐरिया में होने से पड़त चली आ रही है! प्रति० नं० 1 से 09 ने अपने हिस्से की भूमि 1/3 का बिना बटवारा कार्य चुपके से बैचान दि० 17-9-07 को प्रति० नम्बर 10 को कराया दिया है। उक्त बैचान में प्रति० नं० 5 को फर्जी तरीके से पेश किया जाने के कारण उप पंजियक रामगंज मण्डी द्वारा पुलिस थाना रामगंज मण्डी में रिपोर्ट 27.10.07 को F.I.R. नं० 214/07 दर्ज करवाई थी, साथ ही प्रति० नं० 5 ने भी एक इस्तगासा U/S 419-420-467-468-471, 182 व 193 I.P.C. में दिनांक 15/10/07 को प्रस्तुत किया था। उक्त विक्रयपत्र कानूनन वैध नही होने से वादीगण के हितों के विरुद्ध inoperative बेअसर व निरस्तनीय है! "Stranger Person" को बिना सहखातेदारी की भूमि को किसी विभाजन करवाये नहीं बेची जा सकती! उक्त फर्जी विक्रयपत्र की आड़ में प्रति० नं० 10 जबरन ताकत के बल पर भूमि पर

-क्रमशः-

कब्जा करने के प्रयास में है, जिसका उन्हें अधिकार नहीं है। इस कारण वादीगण के लिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।.. इत्यादि अन्य कथन कर वादीगण द्वारा निवेदन किया कि,

वादग्रस्त आराजी मद नं. 1 व 2 वादपत्र में वर्णित का वादीगण एवं प्रति० 12 का हिस्सा अलग दर्ज किया जावे। उसी अनुरूप अद्दे में से अद्दी व चुरी में से चुरी भूमि दिलाई जावे। प्रति० 11 को जर्ये-स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे, कि वह वादग्रस्त भूमि हि० 2/3 पर जबरन कब्जा न करें। किसी अन्य को बेचान व खुर्द-बुर्द न करें। स्टोन मटेरियल व मलवा न डाले। उक्त विक्रय-पत्र के आधार पर इन्तकाल अपने नाम दर्ज न करायें। उक्त कार्य स्वयं व जरिये एजेन्ट भी न करावें। वाद व्यय व अन्य सहायता जो भी हो वह भी वादीगण को दिलाई जावे।

वाद वादीगण पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 12 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 13 का जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 की ओर से श्री जितेन्द्र भाटी विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। जवाब पेश किया गया। जवाब की प्रति विद्वान अधि० वादीगण को दी जाकर जवाब शा० फा० किया गया। जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि का आपसी सहमति से 50 वर्ष पूर्व ही बंटवारा हो चुका है। वादीगण एवं प्रति० नं. 12 के स्व० पिताजी द्वारा अर्थात रघुनाथजी ने 20-30 वर्ष पूर्व अपने 1/3 भाग को जो वादग्रस्त भूमि का अंशधारी हिस्सा है, को लीज होल्डर जहूर मलिक निवासी खुर्कोल को कब्जा सहित खनन कार्य के दिया था। उनके द्वारा मुआवजा ले लिया गया है तथा खान मालिक जहूर अहमद वादीगण तथा प्रति० नं. 12 के हिस्से की भूमि पर खान का मलवा डालता चला आ रहा है। पास ही में जहूर अहमद की पत्थर की खान तथा ऑफिस भी है। वादीगण को इसकी जानकारी है। इन तथ्यों को छिपाकर वाद पेश किया गया है जो काबिल खारिज है। जहूर अहमद वाद में आवश्यक पक्षकार है, जिसे पार्टी नहीं बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी पर से वादीगण तथा प्रतिवादी नं. 12 के खातेदारी

-क्रमशः-

...प्रकार 20-25 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुके हैं। वादीगण वादपत्र की आड़ में प्रति० नं. 1 से 11 के हिस्से की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। वादीगण व प्रति० नं. 12 की भूमि पर मलबा पड़ा हुआ है, जिसे भी जहूर अहमद ने अपनी पत्थर की खान से निकाल कर डाला है, तथा प्रति० नं. 1 से 11 के हिस्से की भूमि खाली है। प्रति० नं. 1 से 10 द्वारा प्रति० नं. 11 को भूमि का बेचान किया जा चुका है। इस प्रकार अन्य कथन कर बाद वादीगण मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया।

वादी० के वादपत्र, वांछित अनुतोष, प्रति० के जवाब आदि के आधार पर प्रकरण में निम्न विवाद्यक बिन्दु विरचित किये गये।

तनकी नं० 1 :- आया वादीगण वादपत्र की मद० नं. 1 व 2 में वर्णित आराजियात में से वादीगण व प्रति० नं. 12 पृथक से 1/3 हिस्सा खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

जिम्मे वादीगण

तनकी नं० 2 :- आया वादीगण प्रति० नं. 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं।

जिम्मे वादीगण

तनकी नं. 3 :- आया वादीगण एवं प्रति० के मध्य आज से 50 वर्ष पूर्व बंटवारा हो जाने एवं वादग्रस्त आराजीयात में 1/3 भाग भूमि 20-30 वर्ष से खनन पट्टाधारी जहूर अहमद से मुआवजा प्राप्त कर खनन कार्य हेतु सहमति दिये जाने के उपरान्त उक्त 1/3 भाग भूमि पर जहूर अहमद का कब्जा काश्त होने से जहूर अहमद को पक्षकार नहीं बनाने से दावा खारिज योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं० 4 :- अनुतोष

बाद कायमी तनकीयात पक्षकारान को अपना-अपना पक्ष रखने के अवसर दिये गये। साक्ष्यादि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति-युक्त अवसर दिये। दरम्यान साक्ष्य पक्षकारान द्वारा नकल जमाबन्दी ग्राम पीपाखेड़ी सं. 2054-57 खाता नं० 28 प्रदर्श-1, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम पीपाखेड़ी प्रदर्श-2, छायाप्रति F.I.R. नं० 214/07 थाना रामगंज मण्डी, छायाप्रति विक्रय पत्र रजि० दि० 17.9.07 उप पंजीयक रामगंज मण्डी क्र.सं. 2006000677, शपथ पत्र वादी, शपथपत्र

—क्रमश—

शिवनारायण मीणा, " हीरालाल मीणा, इसके अलावा प्रति० की तरफ से शपथ-पत्र नरेश कुमार मीणा, नकल वादपत्र U/S. 89 L.R.Act बउनवानी अब्दुर अहमद बनाम श्रीमती कंचन माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय कोटा, मि. नं. 10/08, प्रदर्श 1A, जवाब प्रति० नं. 8 ता 18 बाबत मि.नं. 10/08 अब्दुर अहमद बनाम श्रीमती कंचन प्रदर्श-2A,

बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है कि वादीगण एवं प्रति० नं. 12 वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/3 + [illegible] के हकदार है। बाकी हिस्सा बेचान किया जा चुका है। प्रति० का यह कहना गलत है कि वादीगण ने अपना हिस्सा बेचा हो, बल्कि अब्दुर अहमद ने ताकत के बल पर टीला डाल दिया है। वादीगण ने कोई बेचान नहीं किया है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर में सभी को पक्षकार बनाया गया है। जो भूमि बची हुई है, वह 1/3 हिस्सा है। अतः दावा स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रति० का कथन है कि वादीगण का नाम विवादित भूमि पर दर्ज अवश्य है, किन्तु वादीगण एवं प्रति० नं. 12 के पिता द्वारा भूमि जो उनके हिस्से की थी, को अब्दुर अहमद को खनन कार्य हेतु बेचान कर दिया है तथा कब्जा दे दिया है। इनका हिस्सा पूर्व में ही बेचान होने से मौके पर इनके हिस्से पर अब्दुर अहमद की खान का मलबा पड़ा हुआ है। बकाया 2/3 हिस्सा प्रति० नं. 1 से 10 द्वारा प्रति० नं. 11 को बेचान किया जा चुका है। 89(4) की कार्यवाही हुई। वादीगण को चाहिये कि वे अब्दुर अहमद को बेदखल करवाने के बेदखली का दावा लाना चाहिये। क्योंकि इन्होंने अब्दुर अहमद से पैसा ले लिया है और कब्जा भी सौंप रखा है, इस कारण इनके द्वारा उसे पार्टी नहीं बनाया। वादीगण का हिस्सा जो इन्होंने एवं इनके पिता द्वारा अब्दुर अहमद को हस्तान्तरित किया है, उस हिस्से पर मलबे का टीला पड़ा हुआ है। बकाया हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 11 के कब्जे में है। प्रति परीक्षा में अब्दुर अहमद का कब्जा होना स्वीकार किया है, इस कारण इनका कब्जा नहीं होना साबित हो चुका है। अतः दावा खारिज किया जावे।

रिप्लाई में विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अब्दुर को पार्टी किस कारण से बनाया जावे? कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। मौखिक-[illegible] के भी कोई साक्ष्य नहीं है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जावे।

-क्रमशः-

बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी जाकर पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादीगण के कथन, वाँछित अनुतोष प्रस्तुत साक्ष्य, प्रतिवादीगण के जवाब, प्रस्तुत दस्तावेजात, बयान गवाह, गवाहों की प्रति परीक्षा आदि पर सम्यक अनुशीलन किया गया। तनकी-वार विवेचन अधोलिखितानुसार है।

<u>तनकी नं० 1</u>:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। इस हेतु वादीगण द्वारा नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। अर्थात प्रदर्श-1 के अनुसार वादीगण एवं प्रति० अभिलिखित सहखातेदार प्रतीत होते है। हालांकि कतिपय पक्षकारान् का नाम राजस्व अभिलेख में हालांकि दर्ज नहीं है, किन्तु पक्षकारान् का इस बाबत खास मतभेद नहीं है। रिकार्ड में नाम होने या न होने पर इस प्रकार मतभेद नहीं होना प्रकट होता है। ख० नं० $\frac{436}{417}$ व ख० नं० $\frac{438}{317}$ का पड़त होना भी हस्ब खसरा गिरदावरी प्रमाणित है। प्रति० का मुख्यत: यह कथन है, कि वादीगण तथा प्रति० नं० 12 के पिता द्वारा अपने हिस्से का बेचान जहूर अहमद "खान मालिक" को कर दिया गया है। इस कारण उनकी रजामन्दी से जहूर अहमद द्वारा पत्थरों के ढेले उक्त हिस्से में डाल रखे है। वादीगण S.T. के सदस्य है, इस कारण खाते दर्ज नहीं हो सकी है। जहूर अहमद S.T. का सदस्य नहीं है, इस कारण बेचान की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। लिहाजा वादीगण के पूर्वज अपने हिस्से का बेचान कर चुके है, और कब्जा भी दे चुके है। इस कारण इनका न तो स्वत्व बचा है, और न ही कब्जा। इस कारण ये विभाजन के हकदार नहीं है।

इस क्रम में दरम्याने गवाही, शपथ पत्रों पर जिरह के दौरान यह तथ्य प्रमाणित होते है, कि विवादित भूमि पर कुछ हिस्से पर जहूर अहमद नामक खान मालिक के पत्थरों के ढेले पड़े हुये है। प्रकरण में यह तय नहीं किया जा सकता कि वाद-ग्रस्त भूमि में से किस पक्ष ने अपना हिस्सा जहूर अहमद नामक व्यक्ति को संभलाया है। वादीगण को यह तथ्य ज्ञात है। फिर भी उक्त को पार्टी नहीं बनाया जाना प्रकरण में विचित्र तथ्य है।

अत: अन्य तनकियात के विनिश्चय के अधीन यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है।

<u>तनकी नम्बर 2</u>:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर [प्रति]वादीगण की इस बाबत स्वीकारोक्ति है, कि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 10

क्रमश-

उपखण्ड अधिकारी

द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी नम्बर 11 को कर दिया गया है। इसके साथ ही रजिस्टर्ड बयनामा प्रदर्श-4 से भी प्रतिवादी नं० 11 की हैसियत रिकॉर्डेड टीनेन्ट की ही प्रकट होती है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसार विक्रेतागण के खातेदारी अधिकारों का अवसान होकर क्रेता अर्थात प्रति० नम्बर 11 को विक्रेतागण के समान ही क्रय की गई भूमि में खातेदारी स्वत्व का प्रोद्भूत हो जाना प्रमाणित है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रतिवादी नम्बर 11 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र मान्य प्रकट नहीं होता हो! विक्रेतागण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज अपना कब्जा सौंप दिया जाना प्रमाणित है इस बाबत रजिस्टर्ड दस्तावेज के पृष्ठ सं. 3 के अंतिम चरण में खास उल्लेख है! इस प्रकार एक अभिलिखित अभिधारी की हैसियत प्राप्त व्यक्ति को स्वयं की खातेदारी की भूमि पर किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द करना विधि के सुसंगत प्रावधानों के विपरीत प्रकट होता है!

प्रकरण में जैसा की दौराने जिरह स्वयं वादीगण की स्वीकारोक्ति तथा अन्य गवाहान के बयानों से प्रमाणित है, कि विवादित भूमि के कुछ हिस्से पर नजूर अहमद नामक व्यक्ति द्वारा अपनी खान के पत्थरों का टीला डालकर व बगल में ही ऑफिस आदि बना कर कब्जा कर रखा है! वादीगण उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते इसके विपरीत प्रतिवादी नम्बर 11 जो अभिलिखित खातेदार है, के विरुद्ध ही अनुतोष चाहते है। प्रकरण में 2/3 हिस्से भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 11 का कब्जा होना दस्तावेज व गवाहों आदि के बयान से प्रकट है, तथा बकाया भूमि पर पत्थरों के टीले जो नजूर अहमद नामक व्यक्ति के है, यह प्रतीत होता है। द्वारा वादीगण प्रति० नं० 11 को 2/3 हिस्से में से 1/3 हिस्से पर पाबन्द करवाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते है। इस प्रकार अनुतोष दिया जाना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः यह उनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

-क्रमशः-

...अधिकारी

तनकी नं०:- 3:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन 50 वर्ष पूर्व हो जाना साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है। वादग्रस्त आराजियात का $\frac{1}{3}$ हिस्सा 20-30 वर्ष पूर्व मुआवजा प्राप्त किया जाने का भी कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में वादीगण या प्रतिवादी नम्बर 12 या उनके पिता द्वारा अपनी सहमति से जहूर अहमद को $\frac{1}{3}$ हिस्सा भूमि को संभलाया हो ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, किन्तु प्रकरण सं० 10108 बउनवान जहूर अहमद बनाम श्रीमती कंचन अन्तर्गत धारा 89 L.R. Act 1956 माननीय न्यायालय में प्रार्थी जहूर अहमद के प्रार्थना पत्र को मात्र प्रति० नम्बर 1 से 11 द्वारा ही प्रोटेस्ट किया है, वादीगण तथा प्रति० नं० 12 द्वारा विरोध न करने के क्या कारण रहे इस पर वादीगण मौन है। साथ ही 1/3 हिस्से भूमि पर जहूर अहमद के द्वारा खान से निकाला गया मलबा अर्थात पत्थरों के ढीले आदि डाल कर कब्जा होने के कथन प्रमाणित हो चुके हैं। इस प्रकार 1/3 भाग भूमि या कतिपय भाग भूमि पर जिस व्यक्ति का कब्जा है, उसे अर्थात जहूर अहमद नामक व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया जाना वादीगण के वाद में "नॉन जोइंडर ऑफ पार्टीज" का दोष प्रमाणित होता है।

प्रकरण में वादग्रस्त आराजियात के कतिपय हिस्से पर पक्षकारों के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा स्वीकारा जाना तथा उसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया जाना वाद एवं उसमें वॉछित अनुतोष को हानि पहुंचाता है। अतः उपर्युक्त विश्लेषण व विवेचन के आधार पर यह तनकी बहक प्रतिवादी० तय की जाती है।

तनकी नं० 4:- तनकी नम्बर 1 वा 3 के विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर हम यह पाते हैं, कि वादीगण द्वारा

-क्रमशः-

...जिला... अधिकारी

"क्लीन हेण्ड" से वाद प्रस्तुत नहीं किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है, कि जो व्यक्ति तथ्य छिपा कर आता है अर्थात "क्लीन हेण्ड" न्यायालय में नहीं आता वह समुचित अनुतोष का अधिकारी नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि पर जिस व्यक्ति के कब्जे के तथ्य स्वीकार किये गये हैं, उसे ही पक्षकार नहीं बनाया गया और इस प्रकार वादीगण का वाद अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील व तामील फैसल शुमार की जावे। रजिस्टर में दाखिला लगाया जावे। पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दि० 26/11/14 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)

(S.D. MEENA)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी
उपखण्ड अधिकारी
रामगंज मण्डी

Yudl/Civil
Part IV-10

डिकरी ब मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंज मण्डी

ब इजलास एस. डी. मीणा [आर. ए. एस.]

दुर्गालाल वगैरा बनाम गोरधन वगैरा

दावा ब.बत 53-54-188 R.T. Act.

मुकद्दमा नं. 78 सन् 2007

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू एस० डी० मीणा [R.A.S.]

बहाजरी श्री G.L. सोनी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई व श्री जितेन्द्र कुमार भाटी

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

चीज मुबलिग बाबत

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 11 2014 को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जीदावा ..			स्टाम्प वकालतनामा ..		
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प अर्जी ..		
स्टाम्प वजह सबूत ..			महनताना वकील पर ..		
महनताना वकील पर			खर्चा गवाहान ..		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर ..		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक ..		
मुतफर्रिक					
	—	—	मीजान ..	—	—

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज किया जावे। वाद व्यय पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।

मु. जो. ए-40-2004-...00,000 प्र.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी